

हानि कावर्ग	हकदार व्यक्ति	ई पी का उपवर्ग	हकदार	पुनर्वास सहायता
कृषि भूमि	भूस्वामी	कुल भूमि होल्डिंग की 25 प्रतिशत से कम हानि	- समझौता मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रति पूर्ति - पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रति पूर्ति। - समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति। - समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि के लिए प्रतिपूर्ति। - प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान निपटान हो जाने तक भूमि का उपयोग करने का अधिकार	- भूमि खरीद सहायता - पेड़ स्थानांतरण कार्यक्रम - कुशल बढ़ोतरी तथा आय पुनःस्थापन कार्यक्रम के लिए पात्र
		कुल भूमि के 25 से 75 प्रतिशत के बीच भूमि का नुकसान (संवेदनशील)	- समझौता मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रति पूर्ति - पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रति पूर्ति। - समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति। - समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि के लिए प्रतिपूर्ति। - प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान निपटान हो जाने तक भूमि का उपयोग करने का अधिकार	- 1 वर्ष के लिए प्रतिमास रु.2000/- का पारगमन भत्ता - भूमि खरीद सहायता - पेड़ स्थानांतरण कार्यक्रम - कुशल बढ़ोतरी तथा आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के लिए पात्र